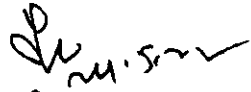


::अधिसूचना::

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)न्याय/90 दिनांक 30.01.1990 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 1(3)न्याय/2010 दिनांक 05.06.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, एतद्वारा जयपुर में स्थित विशिष्ट न्यायालयों का क्षेत्राधिकार परिवर्तित करते हुए, निम्नानुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, जयपुर जिला के न्यायालय को भी विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला के रूप में गठित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम	जयपुर	न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-प्रथम के अधीन आने वाले क्षेत्र
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर	न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-द्वितीय के अधीन आने वाले क्षेत्र
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, जयपुर जिला	जयपुर	जयपुर राजस्व जिला (न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-प्रथम व द्वितीय के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोड़कर)

राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/03/1990/...998

Date: 27/06/2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges
3. Concerned Additional Sessions Judges
4. Concerned Chief Judicial Magistrates
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)


27/06/2022